27/6/25 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। प्राप्त रिपोर्ट रजि. नोटिस दिनांक 17/04/25 की बाबत तलबी अप्रार्थीगण पेश की गई। प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार तामिल शुदा है। अप्रार्थीगण 01 ता 03 की ओर से बावजूद प्राप्ति रजि. नोटिस दिनांक 17/04/25 के आज दिनांक तक उपस्थिति प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः अप्रार्थीगण सं. 01 ता 03 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिए जाते हैं।

बहस प्रार्थनापत्र तहत आदेश पर सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में कथन किया गया है कि प्रार्थी को आदेश से बाद ग्राम

P.T.O.

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) जयपुर
मुख्यालय-जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Laxmi Narayan Bunker
Date: 2025.08.20 13:11:53 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

फर्द अहकाम

महावीर बनाम केसर व अन्य

नाम न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

केस संख्या 22/2025 (टी. आर.)

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	27/6/25	चंदवाजी तह. आमेर जिला जयपुर स्थित भूमि खसरा नं. 14/157, 19, 203/18, 204/18, 205/18, 23 कुल खसरा किता 6 कुल रकबा 0.1400 हे. के सम्बन्ध में पक्षकारान के निहित हिस्सानुसार भूमि के विधिक विभाजन के आशय का वाद प्रस्तुत किया गया है जिसके अन्तर्गत प्रार्थी वादी का 1/4 हिस्सा निहित है। उक्त प्रस्तुत वाद के अनुसार विधिक विभाजन के संदर्भ में तथा प्रस्तुत वाद पत्र के संदर्भ में जारी अन्तरिम स्थगन आदेश के संदर्भ में किसी भी प्रकार की कोई उज्र आपत्ति हेतु प्रतिवादीगण / अप्रार्थीगण को विधिवत नोटिस भी जारी किए गए हैं। जिनकी तामील / प्राप्ति के उपरान्त भी अप्रार्थीगण की ओर से ना तो न्यायालय हाजा के समक्ष उपस्थिति ही प्रस्तुत की गई है, ना ही भूमि के विधिक विभाजन व न्यायालय द्वारा जारी अन्तरिम स्थगन के संदर्भ में किसी [illegible] आपत्ति ही प्रस्तुत की गई [illegible] कि जिन प्रार्थी द्वारा [illegible] विधिक विभाजन का [illegible] है। जिनका प्रार्थी विधिक अधिकारी भी है। उक्त परिप्रेक्ष्य में भूमि का विधिक विभाजन होने तक वाद [illegible] व न्यायहित के P.T.O.

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Laxmi Narayan Bunker
Date: 2025.08.20 13:11:53 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

फर्द अहकाम

महावीर बनाम केशर व अन्य

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

22/2025 (टी.आई.)

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
27/6/25	विवादित भूमि वादग्रस्त को संरक्षित रखा जाकर भूमि वादग्रस्त बाबत मौका व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति कायम रखा जाना न्यायोचित व आवश्यक है। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र टी.आई. स्वीकार किया जाकर पूर्व जारी अस्थाई स्थगन आदेश को तात्कालिक स्थाई किया जावे। हमने प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी, तथ्यों पर मनन किया व पत्रावली का गौरपूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन व तथ्यों के समग्र विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थी/वादी द्वारा भूमि के विधिक विभाजन के संदर्भ में वाद मय प्रार्थनापत्र टी.आई. के प्रस्तुत किया गया है। जिसके क्रम/संदर्भ में वादग्रस्त भूमि के बाबत अस्थाई स्थगन आदेश भी जारी किया गया है। अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण की ओर से बावजूद प्राप्ति नोटिस के ना तो न्यायालय हाजा के समक्ष उपस्थिति ही प्रस्तुत की गई है, ना ही [illegible] भूमि वादग्रस्त के विधिक विभाजन के संदर्भ में तथा जारी अस्थाई स्थगन आदेश [illegible] में किसी भी प्रकार [illegible] मान्य [illegible] विधिक / [illegible] खण्डन ही [illegible] मूलवाद भी [illegible] अनुसार विधिक विभाजन [illegible] से सम्बन्धित है। अतः चूंकि अप्रार्थीगण	P.T.O.

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Laxmi Narayan Bunker
Date: 2025.08.20 13:11:53 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

फर्द अहकाम

महावीर बनाम केदार व अन्य

नाम न्यायालय [illegible]

केस संख्या 22/2025, (टी. आई.)

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	27/6/25	की ओर से वादपत्र के तथ्यों व अस्थाई स्थगन आदेश का कोई खण्डन प्रस्तुत नहीं किया गया है, न ही अब तक पक्षकार की ओर से उत्तर-आपत्ति ही प्रस्तुत की गई है। अतः न्यायहित व वाद बहुलता के दृष्टिगत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर पूर्व अस्थाई स्थगन आदेश दिनांक 08/04/25 को तापैसला मूलवाद स्थाई किया जाता है। जिसके अनुसार उत्तरवादीगण को मूलवाद के निस्तारण तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे ग्राम चंदवाजी तह. आमेर जिला जयपुर स्थित वादग्रस्त अधीन भूमि खा.ख.नं. 14/157, 19, 203/18, ~~204~~, 204/18, 205/18, 23 कुल रकबा किता 6 कुल रकबा 0.1400 है. की मौका व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति कायम रखेंगे तथा [illegible] को [illegible] नेचर नहीं करेंगे। [illegible] पत्रावली [illegible] शामिल हो। [illegible] पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक) आमेर
[illegible]-जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Laxmi Narayan Bunker
Date: 2025.08.20 13:11:53 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner